

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

प्रश्न	उत्तर
<b>भाग— प्रथम</b>	
1. मानचित्र कहाँ से स्वीकृत होगा	1. संबंधित इकाईयों एवं वृत्त कार्यालयों द्वारा ।
2. 28.5.09 के आदेश के विरुद्ध मान्यायालय के निर्णय के क्रम में मानचित्र कहाँ से स्वीकृत होगा तथा वर्तमान स्थिति ।	2. कोर्ट से स्थगन आदेश के उपरान्त मानचित्र परिषद द्वारा ही स्वीकृत होना चाहिए परन्तु तददिनांक तक शासन/परिषद द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं । परिषद में योजनावार इकाई एवं वृत्त कार्यालय स्थापित है, उन्हीं के द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा ।
किस योजना का किस कार्यालय से स्वीकृत होगा, उसका पता तथा सक्षम अधिकारी का मोबाईल संख्या <b>TO BE UPLOADED</b>	3. सूची बनानी होगी, अलग योजनाओं के मानचित्र संबंधित इकाईयों/ वृत्त कार्यालय से . निर्धारित शुल्क एवं समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त किये जा सकते हैं ।
3. स्टेणडर्ड डिजाईन किस—किस प्रकार के भूखण्डों/भवनों के उपलब्ध हैं तथा किस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ।	4. 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भवनों एवं भूखण्डों के मानचित्र शासन के स्वतः स्वीकृत के अन्तर्गत केवल शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त करने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृत मान लिया जायेगा परन्तु परिषद में अभी तक उक्त शासनादेश को अंगीकृत नहीं किया गया है ।
4. कितने क्षेत्रफल तक के भूखण्डों का मानचित्र स्वीकृत किया जाना आवश्यक नहीं है । सम्पूर्ण प्रक्रिया ।	5. इकाई एवं वृत्त कार्यालयों में सूची उपलब्ध है, उसी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा ।
5. मानचित्र स्वीकृत शुल्क	6. प्रपत्र के एवं ख में सभी सूचनायें मुद्रित हैं ।
6. मानचित्र स्वीकृत हेतु क्या —क्या प्रपत्र जमा करने हैं ।	7. सीओओ १० से पंजीकृत कोई भी आर्किटेक्ट मानचित्र तैयार कर सकता है ।
7. भवन मानचित्र तैयार करने हेतु तकनीकी व्यक्ति ।	

8. पैरामीटर्स

9. मानचित्र स्वीकृति के कितना समय लगेगा ।

10. एफ0ए0आर0 क्या है तथा अधिसूचना दिनांक 25.9.08 के संदर्भ में क्य योग्य एफ 0ए0आर0 की स्थित ।

11. शुल्क कहाँ जमा होगी ।

12. परिषद योजना के किस दूरी तक मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा ।

13. किस स्तर पर मानचित्र स्वीकृति

14. मानचित्र खो जाने पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति कैसे प्राप्त की जाय ।

15. सोसायटी लैण्ड का मानचित्र स्वीकृत ले आउट सहित ।

8. भूखण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार अलग—अलग निर्धारित होंगे ।

9. आई0एस0ओ0 के पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 45 दिन आवासीय भवनों हेतु एवं 75 दिन व्यवसायिक संस्थागत ग्रुप हाउसिंग हेतु ।

10. फलोर एरिया रेशियों किसी भी भूखण्ड पर निर्माण हेतु अधिकतम भू—आच्छादन । 25.9.08 के संदर्भ में शासन द्वारा अविकसित योजनाओं में 2.50 एवं विकसित योजनाओं में 1.50 से 1.75 तक अनुमन्य है ।

11. ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, इंदिरा नगर में केवल तृतीय एवं वृन्दावन वृत्त से संबंधित योजना हेतु ।

12. परिषद योजनाओं से लगी 500 मी0 तक की दूरी तक की भूमि का विकास शुल्क/असुधार शुल्क जमा करने के उपरान्त ले आउट एवं मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा ।

13. वास्तुविद नियोजक/वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक/मुख्य वास्तुविद नियोजक के स्तर तक ।

14. मानचित्र खो जाने की स्थिति में आवंटी द्वारा एफ0ए0आर0 की प्रति एवं रु0 100.00 स्टाम्प पेपर इन्डेमनिटी बॉण्ड प्रस्तुत करना होगा ।

15. भूमि परिषद द्वारा अर्जन मुक्त कर दी गयी हो अथवा धारा—28 के पहले छोड़ी गयी हो एवं भूमि अर्जन अनुभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा खण्ड द्वारा छोड़ी गयी भूमि का सत्यापन एवं शुल्क/असुधार शुल्क की गणना तथा इकाई द्वारा ले आउट शुल्क लेने के उपरान्त ।

भाग— द्वितीय

शमन संबंधी प्रश्न

1. कितनी कम्पाउण्डिंग हो सकती है तथा

1. सभी प्रकृति के निर्माण के लिये

किस—किस तरफ कितना निर्माण अनुमन्य है ।

2. शमन किये जाने के उपरान्त क्य योग्य एफ0ए0आर0 क्य किया जा सकता है अथवा नहीं ।

3. क्या— क्या प्रपत्र एवं क्या शुल्क एवं कहाँ ।

4. किस तरह से Application process होगी ।

### भाग— तृतीय

#### क्य योग्य एफ0ए0आर0

1. क्य योग्य एफ0ए0आर0 कहाँ—कहाँ एवं कितना अनुमन्य होगा ।

### भाग— चतुर्थ

#### भू—उपयोग परिवर्तन

1. क्या भू—उपयोग परिवर्तन करा सकते हैं  
2. कहाँ—कहाँ भू—उपयोग परिवर्तन करा सकते हैं ।

3. यदि मास्टर प्लान में कामर्शियल है तो क्या भू— उपयोग परिवर्तित किया जायेगा यदि हाँ तो क्या प्रोसेस है ।

अनुमन्य तल आच्छादन का 10 प्रतिशत तक की निर्माण को शमन किया जायेगा ।  
1. सामने के सेट बैक की चौड़ाई का 40 प्रतिशत अधिकतम 1.5 मी0 से अधिक निर्माण शमनीय नहीं होगा ।

2. पीछे के सेट बैक में अनुमन्य आच्छादन के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक का निर्माण शमनीय होगा ।

3. पाश्व के सेट बैक में कुल क्षेत्र का 25 प्रतिशत तक का निर्माण शमनीय होगा ।

2. परिषद में वर्तमान में प्रचलित /लागू कम्पाउण्डिंग नियमावली में क्य योग्य एफ0ए0आर0 का कोई उल्लेखनीय नहीं है

3. शमन हेतु आवेदन पत्र/ प्रोसेसिंग शुल्क ₹0 1000.00 की रसीद भवन/भूखण्ड से संबंधित सभी प्रपत्र एवं खण्ड द्वारा सत्यापित मानचित्र 4 प्रतियों में ।

4. आवंटी को योजना से संबंधित खण्ड कार्यालय में क्रमांक-3 के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी ।

1. उपविधि –2008 के पृष्ठ— 40 व 41 में लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जायेगा ।

1. हाँ, करा सकते हैं ।

2. जो क्षेत्र परिषद द्वारा चिन्हित किये गये हों अथवा शासन द्वारा जो क्षेत्र बाजार स्ट्रीट में घोषित किये गये हों ।

3. यदि मास्टर प्लान में संबंधित क्षेत्र कामर्शियल घोषित है तब भू उपयोग परिवर्तित नहीं किया जायेगा । यदि परिषद की आवासीय सम्पत्तियों को पुनरीक्षित मास्टर प्लान में व्यवसायिक

घोषित कर दिया गया है तब केवल अधिसूचना जारी होगी

### भाग— पंचम

1. ले आउट प्लान की प्रति कैसे प्राप्त की जाय (योजना विशेष की )

1. सामान्यतया ले आउट प्लान परिषद की अपना इन्टरनल डाक्यूमेन्ट है अतः हर सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है परन्तु किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि आवेदक को अपरिहार्य कारणों से आवश्यकता है तो आवेदन पत्र में लिखित आवश्यकता को सक्षम अधिकारी द्वारा उचित पाये जाने पर ₹0 10.00 प्रति वर्ग फिट की दर से ब्ल्यू प्रिन्ट शुल्क दिया जायेगा ।